~ ~

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 32/2023 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. उगमसिंह पुत्र फतेहसिंह 2. मोरूकंवर पत्नी फतेहसिंह जाति राजपुत, निवासी मते का तला(चौहटन) हाल निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. रामत पत्नी आरब खान जाति मुसलमान, निवासी जोरानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीगण – श्री अभयसिंह राठौड़।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 14.05.2026

वादीगण अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादीगण अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वांद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल शिव के ग्राम शिव के खेत खसरा नम्बर 579 रकबा 6.3131 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	उगमसिंह पुत्र फतेहसिंह 1/2, मोरूकंवर पत्नी फतेहसिंह 1/2 जाति राजपुत सा. देह खातेदार	शिव	579	4.2088	बा.सो.	–	लाल
2	रामत पत्नी आरभखान जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	शिव	579	2.1043	बा.सो.	–	काला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner